

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5348

जिसका उत्तर 06 अप्रैल, 2017 को दिया जाना है ।

टीएचडीसी में अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी

5348. डॉ. उदित राजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में करियर संवर्धन योजना के अनुसार विभागीय लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को कोई छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो दी गई छूट का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभागीय परीक्षा के माध्यम से पर्यवेक्षक संवर्ग में कुल कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है;

(घ) विभागीय परीक्षा के पश्चात् पर्यवेक्षक संवर्ग में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और अनारक्षित श्रेणी के कुल कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है; और

(ङ) क्या पर्यवेक्षक संवर्ग स्तर में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी आई है और यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : कर्मचारियों का करियर संवर्धन अकुशल, अकुशल से कुशल तथा कुशल से पर्यवेक्षक तथा पर्यवेक्षक से कार्यपालक श्रेणी के लिए कामगारों के उन्नयन हेतु टीएचडीसीआईएल की पदोन्नति नीति द्वारा शासित किया जाता है। पदोन्नति नीति में अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में पर्यवेक्षक संवर्ग के लिए पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षाओं में 5% अंकों की छूट का प्रावधान है। अब तक, किसी भी अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार को कोई छूट नहीं दी गई है क्योंकि अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों का, छूट के लिए आवश्यकता के बिना, कुशल श्रेणी से पर्यवेक्षक श्रेणी में उन्नयन किया गया है।

(ग) से (ङ) : 2016-17 के दौरान विभागीय परीक्षा के जरिए तीन कामगार (दो सामान्य तथा एक अ.जा. श्रेणी) पर्यवेक्षक संवर्ग में पदोन्नत किए गए थे। विभागीय परीक्षा के जरिए पर्यवेक्षक श्रेणी में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति में कोई कमी नहीं है।
